क्रम-संख्या—74

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू. पी०-41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, मंगलवार, 22 मार्च, 2005

चैत्र 01, 1927 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 436(2)/सात–वि–1-1(क)–8-2005

लखनऊ, 22 मार्च, 2005

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 2005 पर दिनांक 18 मार्च, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2005

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2005]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जायेगा।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 1 सन् 1939 की धारा 3 का संशोधन

2--संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 की धारा 3 में, उपधारा (1) में खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(ग) राज्य में मानवीय उपभोग के लिये अल्कोहलिक शराब से भिन्न अल्कोहल के प्रथम क्रय पर अस्सी पैसे प्रति लीटर की दर से कर आरोपित किया जायेगा और ऐसे कर का संग्रह और भुगतान नियत रीति से राज्य सरकार को किया जायेगा।"

उद्देश्य और कारण

राज्य के राजस्व में वृद्धि करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि राज्य में मानवीय उपभोग हेतु प्रथम दस लाख लीटर के लिए प्रति लीटर अस्सी पैसे और शेष के लिए प्रति लीटर चालीस पैसे के द्विस्तरीय ढांचे के स्थान पर अल्कोहलिक शराब से भिन्न अल्कोहल के प्रथम क्रय पर अस्सी पैसे प्रति लीटर की दर से कर उद्ग्रहण की व्यवस्था करने के लिए संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 1 सन् 1939) को संशोधित किया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 2005 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
धर्म वीर शर्मा,
प्रमुख सचिव।

No. 436(2)/VII-V-1-1(Ka)-8-2005
Dated Lucknow, March 22, 2005

IN pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Motor Spirit Diesel Oil Tatha Alcohol Bikri Karadhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2005 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 7 of 2005) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 22, 2005.

THE UTTAR PRADESH SALES OF MOTOR SPIRIT, DIESEL OIL AND ALCOHOL TAXATION (AMENDMENT) ACT, 2005

(U.P. Act No. 7 of 2005)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the United Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation Act, 1939.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows:-

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation (Amendment) Act, 2005.

Amendment of section 3 of U.P. Act no. 1 of 1939

2. In section 3 of the United Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation Act, 1939, in sub-section (1) *for* clause *(c)* the following clause shall be *substituted*, namely:-

"*(c)* There shall be levied at the point of first purchase of alcohol other than alcoholic liquor for human consumption in the State a tax at the rate of eighty paise per litre, and such tax shall be collected and paid in the prescribed manner to the State Government."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to augumenting the revenues of the State it has been decided to amend the United Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation Act, 1939 (U. P. Act no. 1 of 1939) to provide for levying of tax in the State at the first purchase of alcohol other than alcoholic liquor for human consumption at the rate of eighty paise per litre instead of two level structure of eighty paise per litre for the first million litre and forty paise per litre for the remainder.

The Uttar Pradesh Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation (Amendment) Bill, 2005 is introduced accordingly.

By order,
D.V. SHARMA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 971 राजपत्र–(हिन्दी)–2005–(2425)–597–(कम्प्यूटर / आफसेट)।